# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 27/2024 बउनवानी सत्यनारायण शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0 पुत्र श्री भगवती प्रसाद शर्मा, कृष्णा रेस्टोरेंट तांगा स्टेण्ड के पास सवाईमाधोपुर **GCMS No-2024/67**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| **3.7.2024** | |

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 13.5.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

:– दिनांक 10.5.2024 को जिला कलेक्टर कार्यालय में डाक के माध्यम से दुघर्टना सम्भावित पेड को हटवाने के संबंध में एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है पर की गयी कार्यवाही के संबंध में निम्नांकित सूचनाऐ उपलब्ध करावे/–

1. उक्त प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा की गयी लिखित कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
2. प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने वाले संबंधित अधिकारी का नाम,पदनाम,मो0न0 की सूचना।
3. प्रार्थना पत्र पर संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यवाही नही करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्व होने वाली कार्यवाही की सूचना उपलब्ध करावे।
4. उक्त प्रार्थना पत्र कार्यवाही पूर्ण होने की तिथि की लिखित सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित कियां गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(1)(48)/सूकाअ/2024/621 दिनांक 21.6.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना ( प्रार्थना पत्र दिनांक 10.5.2024 पर की गयी कार्यवाही) का संबंध प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग से है। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.5.2024 को प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग के पत्रांक 8176 दिनांक 15.5.2024 से आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर को भिजवाया जा चुका है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक/एफ.13(1)(47)सूकाअ/2024/542 दिनांक 27.5.2024 को सूचित किया जा चुका है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.5.2024 पर की गयी कार्यवाही के संबंध में आगामी कार्यवाही की जानकारी नगर परिषद सवाईमाधोपुर से प्राप्त करे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.5.2024 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग के पत्रांक 542 दिनांक 27.5.2024 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सामान्य अनुभाग के पत्रांक 8176 दिनांक 15.5.2024 से आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है किन्तु न्यायहित मे प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.5.2024 [illegible] नगर परषिद सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जाकर अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद [illegible] की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:16:48 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner